7-4-22 ग्राम पंचायत- पेना (दुर्गी) पटरी
व वादी के वकील अनुपस्थित।
पंचायत में बार-बार आवश्यक
विवादी गंगी लेकिन कोर्ट में
अपना नहीं आया वक्त से प्रतीत
होता है कि वादी वाद चलाना
ही नहीं चाहते हैं अतः वादी
का वाद ग्राम पंचायत अदालत
धारणी में स्वतः निरस्त किया जाता
है। पंचाट पंजीयन शुल्क होने
सम्बन्ध के साथ ही वाद
दायिल किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.01.27 17:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर)